भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2170 का उत्तर

भारतीय रेल के लिए एमएसएमई वेंडर

2170. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रेल वेंडरों के रूप में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या कितनी है और विगत वर्ष राज्य-वार और जिला-वार इसमें कितने नए वेंडर जुड़े हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त एमएसएमई से क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी मात्रा में माल खरीदा गया है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एमएसएमई विक्रेताओं से खरीदे गए माल का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार मूल्य कितना है; और

(घ) क्या एमएसएमई की ओर से खरीद संबंधी कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश में रेलवे के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वेंडरों की संख्या 884 है, जिसमें पिछले वर्ष 142 नए विक्रेताओं को जोड़ा गया है। बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विक्रेताओं की संख्या 17 है, जिसमें पिछले वर्ष में नए 6 नए वेंडर जोड़े गए हैं।

भारतीय रेल द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वेंडरों से माल के प्रापण की राशि निम्नानुसार दी गई है:

कार्य-क्षेत्र	वित्त वर्ष	कार्य आदेश का मूल्य (करोड़ रुपए में)
रेलवे	2020-21	26
	2021-22	46
	2022-23	182
	2023-24	468
	2024-25 (06.03.2025 तक)	305

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेल द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वेंडरों से माल के प्रापण का मूल्य निम्नानुसार दिया गया है:

कार्य-क्षेत्र	वित्त वर्ष	कार्य आदेश का मूल्य (करोड़ रुपए में)
रेलवे	2020-21	8781
	2021-22	14934
	2022-23	20341
	2023-24	27245
	2024-25 (06.03.2025 तक)	32184

(घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) की धारा-11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने आदेश {भारत के राजपत्र अधिसूचना के दिनांक 23/03/2012 का एस.ओ. 581 (ई)} द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण को अधिसूचित किया है। उक्त आदेश को दिनांक 09/11/2018 के भारत के राजपत्र अधिसूचना के एस.ओ. 5670 (ई) द्वारा संशोधित किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक प्रापण में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्राथमिकता देने के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा तैयार की गई उपर्युक्त नीति को अपनाया गया है और कार्यान्वित किया गया है।

******